

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.3(1)साप्र/2/18

जयपुर, दिनांक : 12/7/21

-: आदेश :-

श्री दिनेश कुमार गर्ग, अनुभागाधिकारी, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी तृतीय श्रेणी की वरीयता संख्या 160/2013 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2033 है, के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के प्रावधानान्तर्गत नियमानुसार राजकीय आवास संख्या ॥-बी-18, बहुमजिला गांधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतदहारा आवटन किया जाता है:-

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बिधित विभागाधिकारी/आवरण वितरण अधिकारी— जूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अधिक आवटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा चूकी में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञा हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवटी को आवटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबिधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवटी प्रसारित राजपुर
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आवित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. उक्त आवटीयों से कोईन चुकिता चुक के पेटे तकि छप्पे 225-(ज्वारे दो तो सी पच्चीस छप्पे मात्र) सीधे इनके बेतन से काटे जाकर राजकोब में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
दिल्ली चौक ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलवटर, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-4/2) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, निजी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर आवटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, निजी सचिवालय जयपुर को भी सिखायें।
12. श्री दिनेश कुमार गर्ग, अनुभागाधिकारी, आयुर्वेद विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्बलाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करें।
13. रक्षित पत्रावली।

Dm 12/7/21

दिल्ली चौक ऑफ प्रोटोकॉल